संख्या-02/2018/2130/26-2-2017

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांकः 25 जनवरी, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत 02 मजदूरी में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2445/32/स0क0/लेखा-बजट/विभागीय कम्प्यूटरीकरण/2017-18 दिनांक-11.12.2017 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-02-200-09-00 के अन्तर्गत मानक मद 02-मजदूरी में भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से **धनराशि रू0-84.98 लाख (रू0 चौरासी लाख अट्ठान्वे हजार मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का व्यय सेवा प्रदाता संस्था **NIELIT** से लिये गये उन्हीं कम्प्यूटर आपरेटरों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु किया जायेगा, जिनकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की गयी है। इस धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्य पर व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

4- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-200-अन्य कार्यक्रम-09-समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण-02-मजदूरी हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1869/दस-2018, दिनांक-19-जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
उपसचिव।

<u>पृ0संख्या-02/2018/2130(1)/26-2-2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

6 कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8 निदेशक, एन0आई0सी0।

9 गार्डफाइल

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।